hcms 2021/150

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम पीपलू

भंवरलाल बनाम रसाल वगै0

किस्म मुकदमा–प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

प्रकरण संख्या 89 सन् 2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर, तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
06.09.21	अधिवक्ता प्रार्थी ने मय वाद प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि भूमि आराजी ख0न0 1251, 1252, 2225, 2503, 2774, 2819 व ख0न0 988 कुल किता 07 कुल रकबा 1.8463 हैक्ट. व ख0न0 2207, 2779, 2789 कुल किता 03 कुल रकबा 1.3657 हैक्ट. व ख0न0 2167 रकबा 1.5806 हैक्ट. व ख0न0 974 रकबा 0.0759 हैक्ट. वाके ग्राम झिराना पटवार हल्का झिराना भू.अ.नि. झिराना तह0 पीपलू जिला टोंक में स्थित है। उक्त वर्णित आराजीयात प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 01 ता 02 के नाम जरिये विरासत दर्ज हुई हैं। प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 01 ता 02 के नाम दर्ज आराजीयात अविभाजित है। जिसका विधिवत् विभाजन नहीं हो रखा है और सम्पूर्ण आराजीयात को प्रार्थी ही काश्त करता चला आ रहा है और पैदावार का हिस्सा पक्षकारान् द्वारा अपने हिस्से अनुसार विभाजित कर लिया जाता रहा है। अप्रार्थी संख्या 02 ने बिना विधिवत् विभाजन के ही कुछ ख0न0 का बेचान अप्रार्थी संख्या 03 व 04 को कर दिया है और उनके हक में कराये गये विक्रय पत्र का राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद भी हो चुका है। क्रेतागण अप्रार्थी संख्या 03 व 04 बिना विधिवत् तकास्मा कराये बिना आराजी पर काबिज होने का प्रयास कर रहे है जिसकी वजह से मौके पर विवाद की संभावना है। अप्रार्थी संख्या 02 ता 04 नाजायज रूप से प्रार्थी की उक्त वर्णित अविभाजित आराजीयात पर जोर जबरदस्ती काबिज होने का प्रयास कर रहे है, बेदखल करने की धमकी दे रहे है ओर प्रार्थी को भूमि काश्त को लेकर निरन्तर परेशान किया जा रहा है। जिसका प्रतिपक्षीगण को कोई वैधानिक अधिकार नहीं हैं। अतः प्रतिपक्षीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत हैं। हमने बहस प्रार्थीगण एक तरफा सुनी। दौराने बहस में अधिवक्ता प्रार्थीगण ने कथन किया की भूमि आराजी ख0न0 1251, 1252, 2225, 2503, 2774, 2819 व ख0न0 988 कुल किता 07 कुल रकबा 1.8463 हैक्ट. व ख0न0 2207, 2779, 2789 कुल किता 03 कुल रकबा 1.3657 हैक्ट. व ख0न0 2167 रकबा 1.5806 हैक्ट. व ख0न0 974 रकबा 0.0759 हैक्ट. वाके ग्राम झिराना पटवार हल्का झिराना भू.अ.नि. झिराना तह0 पीपलू जिला टोंक में स्थित है। उक्त वर्णित आराजीयात प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 01 ता 02 के नाम जरिये विरासत दर्ज हुई हैं। प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 01 ता 02 के नाम दर्ज आराजीयात अविभाजित है। जिसका विधिवत् विभाजन नहीं हो रखा है और सम्पूर्ण आराजीयात को प्रार्थी ही काश्त करता चला आ रहा है और पैदावार का हिस्सा पक्षकारान् द्वारा अपने हिस्से अनुसार विभाजित कर लिया जाता रहा है। अप्रार्थी संख्या 02 ने बिना विधिवत् विभाजन के ही कुछ खसरा नम्बर का बेचान अप्रार्थी संख्या 03 व 04 को कर दिया है और उनके हक में कराये गये विक्रय पत्र का	

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

Scanned with OKEN Scanner

राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद भी हो चुका है। क्रेतागण अप्रार्थी संख्या 03 व 04 बिना विधिवत् तकास्मा कराये बिना आराजी पर काबिज होने का प्रयास कर रहे है जिसकी वजह से मौके पर विवाद की संभावना है। अप्रार्थी संख्या 02 ता 04 नाजायज रूप से प्रार्थी की उक्त वर्णित अविभाजित आराजीयात पर जोर जबरदस्ती काबिज होने का प्रयास कर रहे है, बेदखल करने की धमकी दे रहे है ओर प्रार्थी को भूमि काश्त को लेकर निरन्तर परेशान किया जा रहा है। जिसका प्रतिपक्षीगण को कोई वैधानिक अधिकार नहीं हैं। अतः प्रतिपक्षीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत हैं।

प्रकरण में प्राइमाफेसीयॉ केस प्रार्थी के हक में प्रतीत होता है। पत्रावली में संलग्न जमाबंदी अनुसार प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 01 ता 04 उक्त वर्णित आराजीयात के संयुक्त रूप से खातेदार एवं काबिज काश्तकार है। अतः अप्रार्थी संख्या 01 ता 04 को अस्थायी निषेधाज्ञा से आगामी आदेश तक पाबन्द किया जाता है कि वे उक्त वर्णित आराजीयात को बिना विधिवत् तकास्मा कराये बिना उक्त वर्णित आराजीयात को किसी अन्य के हक में रहन, दान, बेचान एवं हस्तान्तरण नहीं करे एवं प्रार्थी के हक व हिस्से की आराजी के कब्जे काश्त में मजामहत व मदाखलत नहीं करें। यदि इस आदेश के जारी होने में आपत्ति हो तो नियत तिथि पर उपस्थित होकर उज्र पेश करें। पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर दिनांक 30.09.2021 को पेश हो।

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

30/09/21 पी.ओ. साहब अवकाश / स्थानान्तरण / भ्रमण पर होने से दिनांक 18/11/21 को पेश हो
Ram

18/11/21 पी.ओ. साहब अवकाश / स्थानान्तरण / भ्रमण / कैम्प पर होने से दिनांक 07.01.2022 को पेश हो
Ram

07/01/22 पी.ओ. साहब अवकाश / स्थानान्तरण / भ्रमण पर होने से दिनांक 10.03.22 को पेश हो
Ram

10/03/22 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। समन तलबाना पेश हुए जो जारी हो। पत्रावली दिनांक 19.04.2022 को पेश हो।

Scanned with OKEN Scanner

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत .... मुकाम ....

मंवरमाल बनाम रसाल वगै. किस्म मुकदमा

.... नं. 89 सन 2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
13/04/22	पी.ओ. साहब अवकाश / स्थानान्तरण / भ्रमण पर होने से दिनांक 6/5/22 को पेश हो Ram	
06/05/22	पी.ओ. साहब अवकाश / स्थानान्तरण / भ्रमण पर होने से दिनांक 24.05.22 को पेश हो Ram	
24/05/22	पी.ओ. साहब अवकाश / स्थानान्तरण / भ्रमण पर होने से दिनांक 05.07.22 को पेश हो Ram	
05/07/22	पी.ओ. साहब अवकाश / स्थानान्तरण / भ्रमण पर होने से दिनांक 30/08/22 को पेश हो Ram	
30/08/22	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। समन तलबाना पेश हो। पत्रावली दिनांक 14.10.22 को पेश हो।	
14/10/22	पी.ओ. साहब अवकाश / स्थानान्तरण / भ्रमण पर होने से दिनांक 13.12.22 को पेश हो Ram	
13/12/22	पी.ओ. साहब अवकाश / स्थानान्तरण / भ्रमण पर होने से दिनांक 23/02/23 को पेश हो Ram	
23/02/23	पी.ओ. साहब अवकाश / स्थानान्तरण / भ्रमण पर होने से दिनांक 27/04/23 को पेश हो Ram	
27/04/23	पी.ओ. साहब अवकाश / स्थानान्तरण / भ्रमण पर होने से दिनांक 15/6/23 को पेश हो	
15/06/23	पी.ओ. साहब अवकाश / स्थानान्तरण / भ्रमण पर होने से दिनांक 3/08/23 को पेश हो Ram	

Scanned with OKEN Scanner

पी.ओ. साहब अवकाश/स्थानान्तरण/भ्रमण पर होने से दिनांक 6/10/23 को पेश हो
Ram

06/10/23 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी/प्रार्थी उपस्थित/पी.ओ साहब राजकार्य में व्यस्त/ अवकाश पर/स्थानान्तरित होने के कारण पत्रावली गत आदेशिका अनुसार दिनांक 05/12/23......पेश हो।
Ram

5/12/23 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी/प्रार्थी उपस्थित/पी.ओ साहब राजकार्य में व्यस्त/ अवकाश पर/स्थानान्तरित होने के कारण पत्रावली गत आदेशिका अनुसार दिनांक ......7/2/24 पेश हो।

7/2/24 पत्रावली पेश हुई समन तलबाना पेश होकर पत्रावली दिनांक 5-3-24 को पेश हो।

05/03/24 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी/प्रार्थी उपस्थित/पी.ओ साहब राजकार्य में व्यस्त/ अवकाश पर/स्थानान्तरित होने के कारण पत्रावली गत आदेशिका अनुसार दिनांक 02/05/24.......पेश हो।
Ram

2/5/24 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी/प्रार्थी उपस्थित/पी.ओ साहब राजकार्य में व्यस्त/ अवकाश पर/स्थानान्तरित होने के कारण पत्रावली गत आदेशिका अनुसार दिनांक 2/7/24......पेश हो।
Ram

02/07/24 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी/प्रार्थी उपस्थित/पी.ओ साहब राजकार्य में व्यस्त/ अवकाश पर/स्थानान्तरित होने के कारण पत्रावली गत आदेशिका अनुसार दिनांक 03/09/24......पेश हो।
Ram

3/9/24 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी/प्रार्थी उपस्थित/पी.ओ साहब राजकार्य में व्यस्त/ अवकाश पर/स्थानान्तरित होने के कारण पत्रावली गत आदेशिका अनुसार दिनांक 19/11/24.......पेश हो।
Ram

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए

12/11/24 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी/प्रार्थी उपस्थित/पी ओ साहब राजकार्य में व्यस्त/अवकाश पर/स्थानान्तरित होने के कारण पत्रावली लि आवेशिका अनुसार दिनांक 09/01/25.......पेश हो।

Ray

9/1/25 पत्रावली पेश हुई समन तलबाना जरिये रजि. ए. डी आज ही पेश होकर दिनांक 25-3-25 को पेश हो।

25/3/25
पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी/प्रार्थी उपस्थित/पी ओ साहब राजकार्य में व्यस्त/अवकाश पर/स्थानान्तरित होने के कारण पत्रावली लि आवेशिका अनुसार दिनांक 22/5/25.......पेश हो।

Ray

22/05/25 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 27/06/2025 को पेश हो।

27/6/25
पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी/प्रार्थी उपस्थित/पी ओ साहब राजकार्य में व्यस्त/अवकाश पर/स्थानान्तरित होने के कारण पत्रावली लि आवेशिका अनुसार दिनांक 9/9/25.......पेश हो।

Ray

9/9/25
पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी/प्रार्थी उपस्थित/पी ओ साहब राजकार्य में व्यस्त/अवकाश पर/स्थानान्तरित होने के कारण पत्रावली लि आवेशिका अनुसार दिनांक 18/11/25.......पेश हो।

Ray

18/11/25 पत्रावली पेश हुई प्रार्थी व अधिवक्ता अनु० बार बार आवाज लगवाई अन्तिम आवाज सांय 5 बजे लगवाई कोई उपस्थित नहीं होने के कारण पत्रावली अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

Scanned with OKEN Scanner